

राजस्व वाद संख्या:- 200/2021  
गिस्थारी लाल वगै० बनाम राजस्थान सरकार वगै०  
निर्णय दिनांक:- 18.10.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 200/2021

निर्णय दिनांक :- 18.10.2023

गिस्थारी लाल वगै० बनाम राजस्थान सरकार वगै०

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ०धा० 88, 89, 92क व

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से श्री रामेश्वरदयाल एड० उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 18.10.2023 को दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि हाल ख०न० 729 रकबा 0.22 है०, 796 रकबा 1.38 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.60 है० स्थित ग्राम सूरजगढ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कस्टोडियन विभाग शब्द हजफ किया जाकर भगवानाराम व श्रीराम के नाम के स्थान पर उनके वारिसान वादीगण संख्या 1 लगायत 10 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

C  
(दयानंद रूयल)  
उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी,  
पदेन उप जिला कलक्टर,  
सूरजगढ